

निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़(राजस्थान)

मि0न0 70/प्रा0पत्र(आर्म्स)/18

राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ (प्रार्थी)

बनाम

मदनलाल आ0 रामचन्द्र मीणा नि0 लुहारिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (अप्रार्थी)

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 17 आर्म्स एक्ट

उपस्थित:- पेरोकार सरकार
अप्रार्थी स्वयं

:- निर्णय :-

दिनांक: 13.02.2019

उक्त प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 08.10.2018 से पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 264 के अवधि 01.01.2017 से 31.12.2019 तक के लिये नवीनीकरण हेतु कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के आचरण एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से जांच रिपोर्ट ली गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होना उल्लेखित करते हुये असहमति प्रकट किये जाने पर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करने का आदेश क्रमांक 167 दिनांक 08.01.2018 (क0स0 06 के सन्दर्भ में) पारित किया गया था। तत्पश्चात अनुज्ञापत्रधारी द्वारा उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 08/2018/अपील/आर्म्स/झालावाड़ निर्णय दिनांक 08.10.2018 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया गया व प्रकरण में समुचित तथ्यों का परीक्षण किये बिना जैर अपील को उचित नहीं मानते हुए विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए समुचित परीक्षण कर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबंध में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में माननीय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय के आलोक में स्पष्ट रिपोर्ट स्थिति स्पष्ट करते हुए पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से प्राप्त की गई जिस पर उनके द्वारा पत्रांक 508 दिनांक 21.01.2019 से अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 241/15 सर/मदनलाल धारा 332,353 आईपीसी दर्ज प्रकरण का निस्तारण 24.11.2017 को न्यायालय द्वारा किया जाकर प्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जाना अंकन किया गया व आवेदके के विरुद्ध उक्त प्रकरण के आलावा अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना व नियमानुसार लाईसेन्स नवीनीकरण में आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।


अप्रार्थी द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई व न्यायालय अति0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अकलेरा के निर्णय दिनांक 24.11.2017 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।


जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

बहस उभय पक्ष सुनी। परोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट के आधार पर ही अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही कार्यालय द्वारा पूर्व में आदेश 167 दिनांक 08.01.2018 (क0स0 06 के सन्दर्भ में) पारित किया गया था जो सही पारित किया गया था। इस पर अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया कि अप्रार्थी के विरुद्ध वर्तमान में किसी तरह का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना में अनुज्ञापत्र 264 बहाल किया जाकर अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत करने के आदेश प्रदान किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। कार्यालय द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण बाबत ली गई जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड की नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का अवसर देकर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र 264 निरस्त किया गया था। जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा में की जाने पर उनके निर्णय दिनांक 08.10.2018 से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आशिक रूप से स्वीकार की जाकर कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश 167 दिनांक 08.01.2018 (क0स0 06 के सन्दर्भ में) अपास्त किया गया व पुनः परीक्षण कर निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया। प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त कोटा से प्राप्त होने पर प्रकरण में माननीय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय के आलोक में स्पष्ट रिपोर्ट स्थिति स्पष्ट करते हुए पुलिस अधीक्षक झालावाड से प्राप्त की गई जिस पर उनके द्वारा पत्रांक 508 दिनांक 21.01.2019 से अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 241/15 सर/मदनलाल धारा 332,353 आईपीसी दर्ज प्रकरण का निस्तारण 24.11.2017 को न्यायालय द्वारा किया जाकर प्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जाना अंकन किया गया व आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रकरण के आलावा अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना व नियमानुसार लाईसेन्स नवीनीकरण में आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। चूंकि पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी पूर्व में विचाराधीन प्रकरण में दोषमुक्त हो चुका है व वर्तमान में उसके विरुद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन भी नहीं है व पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुज्ञापत्र नवीनीकरण में अनापत्ति भी व्यक्त की गई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अप्रार्थी के पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र संख्या 264 को बहाल किये जाने व नियमानुसार नवीनीकरण शुल्क जमा होने की स्थिति में आगामी अवधि के लिये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के आदेश दिये जाते हैं। अनुज्ञापत्र व कार्यालय पंजिका में अनुज्ञापत्र बहाली का नोट अंकित करते हुए आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किया जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ न्याय अनुभाग स्थानीय कार्यालय को दी जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड